

राजस्थान सरकार

श्रम विभाग

क्रमांक एफ.8(1)वी.डी.ए/न्यू.म/श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/24322


जयपुर, दिनांक 05.09.2023

अधिसूचना

राजस्थान राज्य में प्रभावी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (केन्द्रीय अधिनियम-11 वर्ष, 1948) की धारा 2 (घ) में निहित प्रावधान सपठित श्रम विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ.1 (8)वी.डी.ए/न्यू.म/श्रम/आई.आर./2000/12526 दिनांक 26.09.2000 के अनुसरण में एतद्वारा औद्योगिक श्रमिकों के मूल्य सूचकांक जो कि भारत सरकार के श्रम ब्यूरो शिमला के जयपुर, अलवर तथा भीलवाडा केन्द्रों द्वारा जुलाई, 2022 से जून, 2023 के लिए निर्मित किये गये हैं, को नियमानुसार प्रकाशित करता हूँ।

क्र. सं.	माह का नाम	सूचकांक आधार वर्ष 2016=100			परिवर्तित सूचकांक 1960=100		
		श्रृंखला			जयपुर केन्द्र	अलवर केन्द्र	भीलवाडा केन्द्र
		जयपुर केन्द्र	अलवर केन्द्र	भीलवाडा केन्द्र	(कॉलम 2X62.89)	(कॉलम 3X62.89)	(कॉलम 4X62.89)
	1	2	3	4	5	6	7
	जुलाई, 2022	125.00	128.00	127.90	7861.25	8049.92	8043.63
	सितम्बर, 2022	125.50	126.70	129.60	7892.70	7968.16	8150.54
	अक्टूबर, 2022	126.20	128.50	129.70	7936.72	8081.37	8156.83
	नवम्बर, 2022	126.30	127.80	129.80	7943.01	8037.34	8163.12
	दिसम्बर, 2022	126.00	127.10	129.80	7924.14	7993.32	8163.12
	जनवरी, 2023	126.70	127.10	129.90	7968.16	7993.32	8169.41
	फरवरी, 2023	126.80	126.50	130.20	7974.45	7955.59	8188.28
	मार्च, 2023	127.60	127.10	131.70	8024.76	7993.32	8282.61
	अप्रैल, 2023	128.10	126.90	132.00	8056.21	7980.74	8301.48
	मई, 2023	127.80	127.10	132.20	8037.34	7993.32	8314.06
	जून, 2023	128.60	128.20	134.00	8087.65	8062.50	8427.26
					95586.51	96077.05	98485.74
जयपुर अलवर एवं भीलवाडा का औसत $290149.30 \div 36 = 8059.70$ या 8060 इस प्रकार गत वर्ष 7760 से तुलना करने पर 300 अकों की वृद्धि हो रही है।							

उक्तानुसार उल्लेखित महीनों के तीनों केन्द्रों के सूचकांकों का औसत योग 8060 घोषित करता हूँ। जो कि सम्बन्धित अनुसूचित नियोजनों के श्रमिकों के निर्वाह व सूचकांक (Cost of living index number) रहेगा। जिसके आधार पर श्रम विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5(6)श्रम/86 दिनांक 11.11.1999 एवं एफ.5(6)श्रम/86 दिनांक 25.01.2000 के द्वारा परिवर्तनशील महंगाई भत्ता देय होगा।


(डॉ० घनश्याम)

श्रम आयुक्त एवं सक्षम अधिकारी,
अन्तर्गत न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक एफ.8(1)वी.डी.ए/न्यू.म/श्रम/आई.आर./2000/पार्ट/24323-24

जयपुर, दिनांक 05.09.2023

प्रतिलिपि निम्न को:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र में सादर प्रकाशनार्थ हेतु।
2. उप निदेशक, (आई.टी.सेल) मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त अधिसूचना का प्रकाशन क्रम संख्या 1 में वर्णित विभाग से असाधारण राजपत्र में प्रकाशन अविलम्ब कराने का श्रम करें।

अतिरिक्त श्रम आयुक्त(आई.आर.)

राजस्थान जयपुर।